समग्र शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत गतिमान कल्याणकारी एवं अन्य योजनायें
जनपद चमोली

समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य –

- गुणवत्ता शिक्षा में अभिवृद्धि एवं छात्र अधिगम में वृद्धि करना।
- विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक असमानता में समानता लाना व प्रत्येक स्तर पर समावेशन सुनिश्चित करना।
- विद्यालयी प्राविधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना व व्यावसायिक शिक्षा जोर।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हेतु राज्यों में अवस्थित एससीईआरटी, शैक्षिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण एवं शैक्षिक संस्थानों को शिक्षक प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेन्सियों के रूप में तैयार करना।

मुख्य हस्तक्षेप –

- सार्वभौमिक पहुंच एवं मूलभूत आवश्यकताओं का विकास व प्रतिधारण करना।
- लैंगिक समानता लाना।
- समावेशी शिक्षा।
- गुणवत्ता युक्त शिक्षा।
- शिक्षक वेतन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- डिजिटल पहल।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तक, गणवेश इत्यादि।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा।
- व्यवसायिक शिक्षा।
- क्रीड़ा एवं शारीरिक शिक्षा।
- शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण।
- अनुश्रवण।
- योजना प्रबन्धन।
- राष्ट्रीय घटक जिसमें शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखण्ड (ई.बी.बी.), विशेष फोकस जिले (एस.एफ.डी), सीमान्त जिले /विकासखण्ड (बी.ए.डी.पी.) माननीय प्रधानमन्त्री महोदय द्वारा चिन्हित पिछड़े जिलों हेतु विशेष योजना।

1) पहुंच एवं प्रतिधारक –

- कक्षा 1 से 12 तक नवीन विद्यालयों का विलय (एकीकरण)/उच्चीकरण।
- पूर्व से संचालित विद्यालयों का उच्चीकरण।
- उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन वर्ग स्थापित करना (यथा विज्ञान, कॉमर्स आदि)
- ई.बी.बी. एवं एस.एफ.डी. क्षेत्रों को प्रमुखता।

2) क्रियान्वयन

- राज्य के एस.ओ.आर. या सी.पी.डब्ल्यू.डी. (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) जिसकी दरें न्यून हों के अनुसार कार्य करवाया जाना प्राविधानित है।

- परिव्यय में मानवीय संसाधन की उपलब्धता हेतु नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु रु0 10 लाख तथा माध्यमिक (हाई स्कूल) विद्यालयों हेतु रु0 25 लाख की सहायता दिया जाना प्राविधानित है।
- परिव्यय में मानवीय संसाधन की उपलब्धता हेतु नये इण्टर विद्यालयों हेतु एक वर्ग के लिए रु0 40 लाख, दो वर्ग हेतु रु0 55 लाख तथा तीन वर्ग हेतु रु0 70 लाख (प्रत्येक वर्ग हेतु रु0 15 लाख की अतिरिक्त धनराशि दिया जाना प्राविधानित है।

3) आवासीय छात्रावास –

- छितरी जनसंख्या वाले क्षेत्र जहां मानकानुसार नवीन विद्यालय नहीं खोले जा सकते हैं ऐसे क्षेत्रों के बच्चों हेतु आवासीय छात्रावास खोले जा सकते हैं। (ई.बी.बी., एस.एफ.डी., बी. ए.डी.पी. घोषित क्षेत्रों जिनका निर्धारण नीति आयोग द्वारा किया गया है इस श्रेणी के अन्तर्गत आयेंगे)

4) पूर्व स्थापित विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण –

- आवश्यकतानुसार विद्यालयों में विज्ञान गणित प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पेयजल, शौचालय, वृहद् मरम्मत, लघु मरम्मत, दूरस्थ विद्यालयों में अध्यापक आवास, आदि की स्थापना।
- विद्यालयों में विद्युतीकरण (अविद्युतीकृत क्षेत्रों में सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा) तथा पेयजल आदि की सुनिश्चितता।
- विद्यालयों के उच्चीकरण हेतु छात्र संख्या का मानक पूर्ण होना अनिवार्य है।

5) यातायात /अनुरक्षण – (ट्रांसपोर्ट/एस्कॉर्ट)

- दूरस्थ क्षेत्रों में निवास कर रहे बच्चे जहां विद्यालयी शिक्षा की पहुंच न हो को इन सुविधाओं से लाभान्वित किया जाना है। यह सुविधा प्रारम्भिक स्तर कक्षा 8 तक के बच्चों दी जायेगी। जिसमें रु0 6 हजार की धनराशि वार्षिक दिया जाना प्राविधानित है। धनराशि दूरी के हिसाब से वास्तविक रुप से देय की जायेगी। धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से बच्चों को अन्तरित की जानी है।

6) यूनिफार्म –

- कक्षा 1 से 8 तक के ऐसे बच्चे जो कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत हों। सभी बच्चों की गणना एस.डी.एम.आई.एस. आधारित होनी अनिवार्य है। इस हेतु समस्त बालिकायें, अनुसूचित जाति बालक, अनुसूचित जनजाति बालक एवं सामान्य जाति के बी0पी0एल0 श्रेणी के बच्चे पात्र होंगे।

  निःशुल्क गणवेश हेतु रु0 600 की धनराशि दिया जाना प्राविधानित है। जिसमें 02 जोडी गणवेश तैयार की जानी हैं। धनराशि का वितरण डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाना है।

7) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक –

- शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व पुस्तकें वितरित की जानी है। इस हेतु समयबद्धता के साथ वृहद् कार्ययोजना तैयार कर ली जाय तथा धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से बच्चों के खातों में अन्तरित की जाय। पुस्तकें /धनराशि वितरण के उपरान्त अनुश्रवण किया जाय

व लाभार्थी बच्चों की गणना एस.डी.एम.आई.एस. आधारित की जाय। पाठ्य पुस्तकों के पुनः प्रयोग पर बल दिया जाय।

8) आर.टी.ई. की धारा 12 (1) सी –

- 12(1) सी के अन्तर्गत निजी/प्राइवेट विद्यालयों में 25 प्रतिशत् प्रवेश – आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी/प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश वास्तविक शुल्क के आधार पर भुगतान किया जाय। पारदर्शी रूप से अनुश्रवण करते हुए प्रवेश दिलाया जाय।
  इस मद में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की शिक्षा पर व्यय किये जाने की सीलिंग कुल वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का 20 प्रतिशत् है।

9) आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण –

- विद्यालय से बाहर रह गये प्रारम्भिक स्तर के बच्चों हेतु आयुसंगत कक्षा में प्रवेश एवं आयु संगत कक्षा में प्रवेश हेतु पूर्व में किये गये कार्यों के आधार पर मुख्य धारा में जोड़े गये बच्चों के परिणाम का विश्लेषण।

आवासीय, अनावासीय विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन व माइग्रेटरी बच्चों हेतु अल्पकालीन विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन।

10) मीडिया और सामुदायिक सहभागिता –

- सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु कार्यशाला / व्याख्यान, प्रचार प्रसार, ऑडियो विजुअल, प्रिन्ट मीडिया आदि का अनुप्रयोग।
  विशेष योजना आधारित प्रति राजकीय विद्यालय रु0 1500 की धनराशि प्राविधानित है।

11) एसएमसी तथा एसएमडीसी प्रशिक्षण–

- एसएमसी तथा एसएमडीसी सदस्यों का क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण पर बल इस हेतु प्रति राजकीय विद्यालय रु0 3000 की धनराशि प्राविधानित है।

12) शैक्षिक गुणवत्ता –

- अधिगम अभिवृद्धि – एन.ए.एस. में न्यून प्रगति वाले विकासखण्डों के छात्र–छात्राओं हेतु मॉड्यूल निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, सी.सी.ई., पढ़े भारत – बढ़े भारत, प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक मूल्यांकन के पश्चात् चयनित छात्रों हेतु उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना प्राविधानित है।
- फ्लैक्सी फण्ड आधारित प्रस्ताव के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण हेतु चयनित छात्रों के अनुसार रु0 500 प्रति छात्र दिया जाना प्राविधानित है।

13) राष्ट्रीय /राज्य स्तरीय मूल्यांकन –

- छात्रों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन एन.सी.ई.आर.टी. /वाह्य संस्थाओं द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों का मूल्यांकन आधारित विश्लेषण किया जाना है। इस हेतु रु0 10 से 20 लाख तक की धनराशि (बड़े जनपद/छोटे जनपद के अनुसार) दिया जाना प्राविधानित है।

14) समग्र विद्यालय अनुदान –

- समस्त राजकीय विद्यालय द्वारा वार्षिक आधार पर निष्प्रयोज्य सामग्री से दूसरी आवर्ती मदों यथा खेल सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री, विद्युत बिल, पेयजल बिल, इन्टरनेट चार्जेज, शौचालयों की स्वच्छता एवं स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए समुदाय से अनिवार्यतः सहयोग प्राप्त करेंगे।
- छात्र मानकानुसार समग्र विद्यालय अनुदान की प्राविधानित धनराशि व स्वच्छ विद्यालय अभियान पर व्यय जाने वाली प्राविधानित धनराशि –

छात्र संख्या	प्राविधानित धनराशि	स्वच्छ विद्यालय अभियान पर व्यय की जाने वाली धनराशि
1 से 15 तक	12500	1250
15 से 100 तक	25000	2500
101 से 250 तक	50000	5000
251 से 1000 तक	75000	7500
1000 से अधिक	100000	10000

15) पुस्तकालय –

पढ़े भारत – बढे भारत अभियान के अन्तर्गत छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित किये जाने हेतु पुस्तकों का क्रय समुदाय से किया जाय। विद्यालयमें संचालित कक्षानुसार प्राविधानित धनराशि इस प्रकार है –

कक्षा	प्राविधानित धनराशि
कक्षा 1–5	5000
कक्षा 6–8	10000
कक्षा 1–8	13000
कक्षा 9–10	10000
कक्षा 6–12	15000
कक्षा 9–12	15000
कक्षा 11–12	10000
कक्षा 1–12	20000

16) राष्ट्रीय आविष्कार अभियान –

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं गणित और विज्ञान विषय में अधिगम वृद्धि हेतु वित्तीय धनराशि जनपद के विशिष्ट प्रस्तावों पर निर्भर करेगी। जिसमें विज्ञान/गणित किट, विज्ञान, गणित मेला प्रदर्शनी, क्षमता संवर्द्धन, विज्ञान गणित अध्यापकों का अभिदर्शन भ्रमण उच्च शैक्षिक संस्थानों के निर्देशन में करवाया जायेगा।

17) आई.सी.टी. और डिजिटल पहल –

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को टैबलेट, लैपटॉप, नोटबुक, सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण, स्मार्ट कक्षा में डिजिटल बोर्ड, डिजिटल चैनल आदि सामुदायिक सहभागिता के प्रस्तावों के आधार पर दिया जाना प्राविधानित है।

विद्यालयों हेतु आवर्ती तथा अनावर्ती मद –

कक्षा 6 से 12 तक संचालित राजकीय विद्यालयों हेतु

– अनावर्ती मद में रु0 6.40 लाख तक प्रति विद्यालय प्रति वर्ष (धनराशि केवल एक बार देय होगी)

– आवर्ती मद में रु0 2.40 लाख तक प्रति विद्यालय प्रति वर्ष (योजना से यह धनराशि 05 वर्ष तक देय होगी)

18) पूर्व प्राथमिक सहायता –

- आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण (प्रशिक्षण एन.सी.ई.आर.टी. फ्रेमवर्क आधारित हो)
- आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में सीिपित करना।
- महिला बाल विकास मन्त्रालय /विभाग से समन्वयन।
- राज्य सरकार को पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलने में सहायता करना।
- विशिष्ट जनपदीय परियोजना आवर्ती अनुदान, मानवीय संसाधनों की तैनाती हेतु रु0 2 लाख तक की वित्तीय सहायता।
- अनावर्ती मद में रु0 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना।

19) शिक्षक वेतन –

- राज्य सरकार द्वारा घोषित वेतन संरचना, पी.टी.आर. के सोपक्ष शिक्षकों की नियुक्ति, यू–डायस एवं दीक्षा कार्यक्रम के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति।

वित्तीय सहायता –

स्तर	केन्द्र से देय वित्तीय राशि (मासिक मानक)
प्राथमिक शिक्षक	15000
जूनियर शिक्षक	20000
माध्यमिक शिक्षक	25000
प्रधानाध्यापक	25000
प्रधानाचार्य	30000
अंशकालिक शिक्षक (कला, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव)	7000

अवशेष राशि राज्य सेक्टर से आहरित की जायेगी।

नवाचार –

जनपदों की विशिष्ट योजना गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ावा दिये जाने हेतु

जैसे – एक भारत श्रेष्ठ भारत, कला उत्सव, योगा, ओलम्पियार्ल्ड, बैण्ड प्रतियोगिता आदि के अन्तर्गत जनपद स्तरीय व्यवहारिक योजना पर आधारित राज्य को प्रदत्त केन्द्र सहायतित परियोजना की 25 प्रतिशत् धनराशि व्यय की जा सकेगी।

गुणवत्ता शिक्षा हेतु पहल –

– विद्यालय अभिरुचि परीक्षा
– परामर्श सेवा केन्द्र
– शैक्षिक अभिदर्शन
– व्यवसायिक कौशल

आदि के लिए धनराशि दिया जाना प्राविधानित है।

*****